दिनांक 28 जनवरी, 1987

सं. ओ. वि./एफ.डी./64-85/4076.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ईलाईट सैरामिक्स प्रा० लि० प्लाट नं० 161, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री रघबीर, मार्फत कार्यालय अन्तरास्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन जी-162 इन्दरा नगर सैक्टर 24, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्पाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री रघबीर की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है इस बिन्दु निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./एफ.डी./64-85/4083.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० ईलाईट सैरामिक्स प्रा० लि० प्लाट नं० 161, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री बैंजू मार्फत अन्तंराष्ट्रीय वादी मजदूर यूनियन, जी-161 इन्दरा नगर, सैकटर 7, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री बैंजू की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर होकर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 27 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि० कुरु०/5-87/3793.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० दी शाहबाद कारमर्स कोपरेटिव मार्किटिंग-कम-प्रोसेसिंग सोसाईटी लि० शाहबाद मारकण्डा, जिलां कुरुक्षेत्र के श्रमिक श्री प्रेम नाथ पुत्र श्री साधु राम मार्फत श्री राजेश्वर नाथ 2655 टिम्बर मार्किट, अम्बाला छावनी तथा, उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 धारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री प्रेम नाथ की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?